

आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए आवेदन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार

प्रति

सी.डी.पी.ओ.

ब्लॉक	दिनांक
जिला	बसाहट
राज्य	गाँव

पंचायत

महोदय/महोदया

सन्दर्भ : सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ व अन्य सिविल रिट पीटिशन नम्बर 196/2001 दिनांक 13 दिसम्बर 2006 बताता है कि – “उन मामलों में जहाँ किसी बसाहट में छह वर्ष से छोटे 40 बच्चे हों पर कोई आंगनवाड़ी न हो वहाँ का ग्रामीण समुदाय और झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले ‘मांग पर आंगनवाड़ी’ के लिए हक़्कदार हैं (जिस तारीख से यह मांग की गई उसके तीन महीने के भीतर)।”

आपको ऊपर जिक्र किये गये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में जानकारी होगी जिसमें यह कहा गया है कि वैसे बसाहटों में जहाँ छह वर्ष से कम उम्र के 40 बच्चे हैं लेकिन कोई आंगनवाड़ी नहीं है, वहाँ पर मांग पर आंगनवाड़ी खोली जानी चाहिए। हमारे बसाहट में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं (सूची परिशिष्ट के साथ संलग्न है)। हमारी बसाहट की आबादी है। नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र किलोमीटर की दूरी पर है और यह केन्द्र की आबादी के लिए है।

आंगनवाड़ी के अभाव में, बच्चों के विकास का कोई पर्यवेक्षण नहीं किया जाता; उनको कोई पूरक आहार नहीं दिया जाता और किसी तरह की पूर्व-स्कूली शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। गर्भवती व लरकरी (दूध पिलाने वाली माताएँ) माताओं और किशोरियों को किसी तरह की कोई सुविधा गाँव के स्तर पर उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

हम एक आंगनवाड़ी केन्द्र की मांग करते हैं, जिसमें कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व एक आंगनवाड़ी सहायिका हो। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कृपया इसे हमारी बसाहट के लिए मंजूरी दें। यह आंगनवाड़ी केन्द्र आई.सी.डी.एस. की सभी सेवाओं को उपलब्ध कराये – जिसमें पूरक आहार, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और पूर्व-स्कूली शिक्षा शामिल हो।

धन्यवाद

भवदीय

1. 2. 3.

प्रेषित प्रति : जिला परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस.; जिला मजिस्ट्रेट; सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त

बचपन को करे आबाद, आंगनवाड़ी ज़िन्दाबाद!

परिशिष्ट : छह वर्ष से छोटे बच्चों की सूची

क्र. सं.	बच्चे का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	अनु.जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य	बालक/ बालिका	आयु/ जन्म तिथि
1.						
2.3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						